



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-07042026-271605  
CG-UP-E-07042026-271605

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1679]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 6, 2026/ चैत्र 16, 1948

No. 1679]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 6, 2026/ CHAITRA 16, 1948

रेल मंत्रालय

(उत्तर मध्य रेलवे)

अधिसूचना

प्रयागराज, 23 फरवरी, 2026

का.आ. 1746(अ)— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 20 ए के खण्ड-(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में मथुरा जं. यार्ड के ढाँचे में परिवर्तन और भूतेश्वर में फ्लाईओवर के निर्माण हेतु विशेष रेल परियोजना के अन्तर्गत लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा-20 घ की उप धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सयुक्त संगठन, मथुरा उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी जाँच करने के पश्चात यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20 घ की उप धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में मथुरा ज. यार्ड के ढांचे में परिवर्तन और भूतेश्वर में फ्लाईओवर में निर्माण हेतु विशेष रेल परियोजना के अन्तर्गत लोक प्रयोजन के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण-

क्रम संख्या	जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल हैक्टेयर में।
1	2	3		4	5
1.	मथुरा	सदर	गोविन्दपुर	77 मि.	0.1446
				78 मि.	0.3924
				कुल योग	0.5370

[ई. फा. सं. NCR-HQ0CENG(GEN)/6/2023-O/o CE/CONST/NORTH/HQ/NCR (Computer No. 83817)]  
राजकुमार वानखेड़े, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, निर्माण

## MINISTRY OF RAILWAYS

(North Central Railway)

### NOTIFICATION

Prayagraj, the 23rd February, 2026

**S.O. 1746(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which is given in the schedule annexed here is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Mathura in the state of Uttar Pradesh hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Special land acquisition officer Mathura. Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds there of an the competent authority shall give objector an opportunity of being heard either in person or legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquir if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent Authority.

### SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the special project namely Mathura Jn. Yard Remodeling and Bhuteshwar Flyover in District Mathura in the state of Uttar Pradesh.**

SN	District	Tehsil	Name of the Village	Plot No.	Area propose for land acquisition (In Hect.)
1.	Mathura	Sadar	Govindpur	77M	0.1446
				78M	0.3924
				<b>Total</b>	<b>0.5370</b>

[E. F. No. NCR-HQ0CENG(GEN)/6/2023-O/o CE/CONST/NORTH/HQ/NCR (Computer No. 83817)]

RAJKUMAR WANKHEDE, Chief Administrative Officer (Construction)